

# मकान के सामने लगी डी.पी. हटाने की मांग, विद्युत पोल पर चढ़ा युवक

## जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को समझाइश कर नीचे उतारा

भीलवाड़ा, (निसं)। सिस्टम इंफ्रामेंट में लगी डीपी को उसे जगह से हटकर कुछ ही दूरी पर लगाने एवं डिमांड राशि जमा करने के बाद भी विद्युत कनेक्शन नहीं होने से नाराज युवक विद्युत पोल पर चढ़ गया। इसकी जानकारी मिलते ही थानाधिकारी नरपत सिंह बाना मय जाब्जे के मौके पर पहुंचे युवक से समझाइश कर उसे नीचे उतारा। युवक का कहना था कि जिला कलेक्टर सहित विद्युत विभाग के अधिकारी एसी, एक्शन, अयन, जयन के पास कई मर्ता अपनी फरियाद लेकर जा चुका हूँ लेकिन मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। परेशान होकर मुझे यह रास्ता अपना पड़ा। फिलहाल पुलिस युवक को थाने ले गई।

जानकारी के अनुसार दिनेश रेगार ने कुछ दिनों पूर्व में प्रेस नोट जारी कर आरोप लगाया कि व्यवसायिक दुकानें 148 अभियंता जहाजपुर में पेश किया। जिस पर अभियंता द्वारा मौके का निरीक्षण कर डिमांड राशि निकाली उक्त डिमांड राशि हमने 7 दिसंबर 2023 को अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय जहाजपुर में जमा कराई जिसकी फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। डिमांड राशि जमा होने के 4 माह उपरंत भी सहायक अभियंता जहाजपुर ने हमारे विद्युत कनेक्शन नहीं किया है। हम प्रार्थी करीब 20-30 बार सहायक



थानाधिकारी नरपत सिंह बाना मय जाब्जे के मौके पर पहुंचे और युवक को समझाइश कर नीचे उतारा।

अभियंता कार्यालय जहाजपुर में गए तो सहायक अभियंता बार-बार हमें टालमटोल कर रहा है।

वर्तमान में जहां ट्रांसफार्मर लगी हुई है वह जगह सरकारी जमीन 148 की भूमि पर लगी हुई है। इनको कनेक्शन में अन्य व्यक्ति के कनेक्शन हो रहा है एवं विद्युत की सप्लाई चालू है। हमारे ऊपर हमारे मकान व दुकानों के नजदीक डीपी लगाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर आप लोगों के नजदीक लगवाये तभी आपको कनेक्शन दिया जाएगा। यह

दबाव हमारे पड़ोसी उदय लाल मीणा से संभवतः पैसे लेकर बिजली विभाग के कर्मचारी सहायक अभियंता दिनेश मीणा द्वारा हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि यह ट्रांसफार्मर इनके नजदीक लगाये तभी इनको कनेक्शन दे वरना कनेक्शन नहीं दें। रास्ते का विवाद बताकर हमारे कनेक्शन नहीं कर रहे हैं जबकि हमारे कनेक्शन में रस्ते का कोई विवाद नहीं है।

आरोप लगाया कि ट्रांसफार्मर पहले से ही सरकारी भूमि पर लगा है। जब उदयलाल मीणा को विद्युत

कनेक्शन दिया था तब रस्ते को कोई विवाद नहीं था। उसके सहमति से लगाई गई थी। उदय लाल मीणा जो की मेरा पड़ोसी है और उसको टीन केबिन में 1 साल से कनेक्शन दे रहा है। जबकि हमारा पक्का निर्मित दुकानों में कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। मनीष कुमार हमारे विद्युत कनेक्शन के लिए मीटर व वायर लाइनमें को नहीं दे रहा है। बिजली विभाग कर्मचारी मनीष कुमार और लाइनमें भवर सिंह हाड़ा जो की वर्तमान में बाबू का काम कर रहा है। दोनों ने संभवतः उदय लाल से मोटी

रकम लेकर सिस्टम इंफ्रामेंट के नाम पर लगा कर विद्युत कनेक्शन दे रखा है। उक्त डीपी को जहाजपुर निगम विभाग के कर्मचारियों ने कॉलोनी में विद्युत सप्लाई कम होने के कारण बात कर डीपी लगा कर केवल उदयलाल मीणा को निजी फायदा देने के लिए लगाई हुई है। जब की मौके पर कोई कॉलोनी नहीं है केवल हम दोनों का व्यावसायिक भवन बना हुआ है।

आरोप लगाया कि जहाजपुर बिजली विभाग के कर्मचारी उक्त से केवल एक ही विद्युत कनेक्शन देकर निगम को गुमराह कर लाखों रुपए का घपला किया है। वर्तमान जहाजपुर सहायक अभियंता दिनेश मीणा भी उदय लाल मीणा को सहयोग कर रहे हैं और अपने पद का नाजायज फायदा उठाकर जबरदस्ती को स्थानांतरण करवाने के लिए उच्च अधिकारी अधिष्ठाता अभियंता शाहपुरा के लेख लिख स्थानांतरण के लिए गुमराह कर रहे हैं। उदय लाल मीणा व बिजली विभाग के कर्मचारियों को मिला भागत से हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। भवन में नर्सिंग कोचिंग सेंटर चलता है जिसमें बहुत से बच्चों का आना जाना बना रहता है अगर डीपी हमारे नजदीक लगी तो बच्चों को कर्कट आने का खतरा बना रहेगा हमारे भवन के पास वैसे ही 33 एग्रीकल्चर लाइन की निकली हुई है।

## दुष्कर्म पीड़िता की बाल कल्याण समिति से न्याय की गुहार

### रेप पीड़िता को स्कूल का माहौल खराब होने का दिखावा डर, बिना बताए स्कूल से काटा नाम

अजमेर, (का.सं.)। अजमेर में पीड़िता हवश के दरिदों और निक्कम स्कूल प्रशासन को शिकार हुई है, जहां पीड़िता को शिक्षिकाओं की सहानुभूति मिलनी चाहिए थी, वहाँ उसे विद्यालय का नाम खराब होने का डर दिखाकर विद्यालय आने से मना कर दिया? विद्यालय प्रशासन ने इतना नहीं चार माह बाद पीड़िता को अनुपस्थित बताकर उसका विद्यालय से नाम तक काटा दिया।

सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता छात्रा को स्कूल प्रशासन ने घटना के बाद स्कूल आने से न सिर्फ मना कर दिया, बल्कि बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए उसको प्रवेश पत्र तक नहीं दिया। अपने साथ हुई इस दोहरी घटना से आहत पीड़िता

ने बाल कल्याण समिति को इस संबंध में पत्र लिखा, इसके बाद घटना सामने आई है।

पीड़िता के साथ पिछले साल अक्टूबर महीने में सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसके बाद गंगल पुलिस थाने में मुकदमा भी दर्ज हो गया था, घटना के बाद पीड़िता जब स्कूल में नियमित अध्ययन के लिए पहुंची तो वहां टीचर्स ने उसे स्कूल आने से यह कहते हुए मना कर दिया कि उसके स्कूल आने से माहौल खराब होगा और बेहतर है कि वह स्कूल न आए और परीक्षा के समय उसे बुला लिया जाएगा।

मामले की गंभीरता को देखते हुए बाल कल्याण समिति अग्र्यक्ष अंजली

शर्मा ने तुरंत प्रसंग ज्ञान लिया। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही पीड़ित छात्रा का शैक्षणिक सत्र खराब न हो इसके लिए भी कहा है। साथ ही पत्र की एक कॉपी जिला कलेक्टर को भी सौंपी गई है, और इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से भी बाल कल्याण समिति बातचीत कर रही है और पीड़िता को विधिक मदद उपलब्ध करवाई जा रही है। हालांकि बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं, लेकिन बाल कल्याण समिति प्रयास कर रही है कि बोर्ड की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के दौरान पीड़िता को बैठने की अनुमति मिल सके।

## सोशल मीडिया पर राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग हो : प्रवीण गुप्ता

जयपुर, (का.सं.)। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के क्रम में निर्वाचन विभाग की ओर से सोशल मीडिया पर राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग रखी जाए। गुप्ता ने गुरुवार को जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस से प्रदेश के सभी जिलों के जिला पुलिस अधीक्षक तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के जिला अधिकारियों (पीआरओ) एवं जयपुर और जोधपुर के पुलिस उपअधीक्षकों की वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) में अब तक की प्रगति की समीक्षा की।

पुलिस मुख्यालय से राजस्थान पुलिस के महानिरीक्षक, पुलिस, एससीआरबी शरत कविराज ने कहा कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सोशल मीडिया पर प्रभावशील निगरानी रखी जा रही है, साथ ही सोशल मीडिया पर फेक न्यूज

एवं भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा एक्शन भी लिया जा रहा है। कविराज ने बताया कि राज्य स्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर अब तक 7 भ्रामक एवं विवादास्पद पोस्ट हटाए गए हैं। कविराज ने बताया कि बालोतरा में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज एवं भ्रामक जानकारी फैलाने वाले 1 व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है।

वीसी के दौरान कविराज ने जिलों के अधिकारियों से कहा कि सोशल मीडिया पर चुनावों से सम्बंधित किसी भी प्रकार की ऐसी असामान्य पोस्ट जो भारत निर्वाचन आयोग और निर्वाचन विभाग, राजस्थान द्वारा जारी गाइडलाइन के उल्लंघन कर रही हो, उसका त्वरित संज्ञान लेते हुए निश्चित प्रक्रिया के तहत सम्बंधित स्तर पर रिपोर्ट करें, जिससे उस पर एक्शन लिया जा सके।

## लावारिस कार को पुलिस ने किया सीज

सादलपुर, (निसं)। कस्बा राजगढ़ के कुरेशी मार्केट के पास बीआरकेजीबी बैंक के सामने पांच दिनों से लावारिस हालात में खड़ी एक कार में राजगढ़ थाना पुलिस ने एमवी एक्ट के तहत सीज करने की कार्यवाही की है।

गुरुवार को मिली जानकारी के अनुसार बीआरकेजीबी बैंक के सामने फेक रोज से एक कार के खडे रहने की सूचना राजगढ़ थाना पुलिस को मिली। जिस पर राजगढ़ थाने के पप्पुमारा उपनिरीक्षक, महेन्द्र सिंह कारस्टेबल, सतवीर चालक कारस्टेबल सहित मौके पर पहुंचे तो उन्हें बीआरकेजीबी बैंक के सामने लावारिस हालात में कार खड़ी मिली, तथा कार बिना लॉक के खड़ी मिली। जिस पर पप्पुमारा उपनिरीक्षक ने आसपास के लोगों से जानकारी ली, मगर कार के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। जिस पर उन्होंने क्रेन बुलाकर मौके से लावारिस खड़ी कार को एमवी



राजगढ़ थाना पुलिस ने एमवी एक्ट के तहत कार को सीज किया।

एक्ट के तहत सीज कर पुलिस थाना राजगढ़ में खडा करवा गया।

थानाधिकारी पुष्पेन्द्र सिंह झाड़डियां ने बताया कि कोई भी व्यक्ति भी अपने वाहन को बिना पार्किंग स्थल के खडा ना करें, जिससे की आमजन को

असुविधा हो, अन्यथा बिना पार्किंग सडक पर खडे वाहनों के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत कार्यवाही की जावेगी।

## पिता के हत्यारे कलयुगी बेटे को

### आजीवन कारावास की सजा

#### दो पुत्रों व एक पोते को तीन वर्ष की सजा से दंडित किया

बून्दी (निसं)। तीन वर्ष पुराने हिंडोली थाना क्षेत्र के हत्या के मामले में एडीजे क्रम एक की न्यायाधीश अचला आर्य ने हत्यारे बेटे ताराचंद को आजीवन कारावास व हत्या की घटना छुपाने के आरोप में दो पुत्रों व एक पोते को तीन वर्ष की सजा से दंडित किया।

मामले के अनुसार खाटी आतरी थाना हिंडोली निवासी दीपक वर्मा ने 8 मार्च 2021 को थाना हिंडोली में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 3 मार्च को मेगा हाईवे 148 डी पर एक हॉटेल पर उसके दादाजी ताराचंद बैठे थे वहां पर उसके दादाजी नंदकिशोर आए और उन्होंने ताराचंद से कहा कि वह किस जमीन के कागज मांग रहा है तो इस पर क्रोधित होकर ताराचंद ने लाठी को उसके दादाजी नंदकिशोर के सर पर मार दी जिससे दादाजी वहीं गिर गए। फिर गिरे हुए दादाजी के ताराचंद

■ **मामले में लोक अभियोजक ने 20 गवाह व 28 दस्तावेज पेश किए**

ने और लकड़ी से वार किए मैंने बीच बचाव किया तो ताऊजी ताराचंद ने मेरे साथ भी लकड़ी से मारपीट की जिससे मेरे हाथ पर चोट आई। मैंने जान बचाकर भागा, वहां पर मेरी मां भी आ गई थी फिर दादाजी को लोग हिंडोली अस्पताल ले गए जहां से उनको बूंदी रेफर कर दिया। बूंदी में मेरे दादाजी की मौत हो गई। मेरे ताऊजी ताराचंद नशे के आदि थे तथा आएदिन घरवालों से मारपीट झगडा करते रहते थे। इस पर पुलिस ने अभियुक्त ताराचंद पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया और नंदकिशोर के अन्य पुत्र रामप्रसाद व किशन व ताराचंद के पुत्र मुकेश पर हत्या

की घटना छुपाने व सबूत नष्ट करने का मुकदमा दर्ज कर चालान प्रस्तुत किया। मामले में लोक अभियोजक कैलाश चंद मीणा ने 20 गवाह व 28 दस्तावेज पेश किए। ताराचंद की ओर से कोई वकील नहीं होने पर विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उसे नफीसुर्रहमान एडवोकेट उपलब्ध कराया गया जिन्होंने उसकी ओर से पैरवी की।

न्यायालय ने बहस सुनने के पश्चात कलयुगी बेटे ताराचंद को हत्या के अपराध व मानवता के विरुद्ध इस अपराध का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 11000 रुपए जुर्माने से दंडित किया तथा अन्य पुत्र रामप्रसाद, किशन व पोते मुकेश को 3 साल की सजा व 5000 जुर्माने से दंडित किया। हत्या के बाद से ताराचंद जेल में ही बंद था तथा शेष लोग जमानत पर रिहा चल रहे थे।

## प्रदेश में होम वोटिंग के लिए रिकॉर्ड 76,636 पंजीकरण

### सभी 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 58,954 बुजुर्ग और 17,682 दिव्यांग घर से मतदान करेंगे

जयपुर, (का.सं.)। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 के तहत होम वोटिंग के रिकॉर्ड पंजीकरण किए गए हैं। सभी 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 76,636 पात्र मतदाताओं ने घर से मतदान करने का विकल्प चुना है। इसमें 58,954 बुजुर्ग और 17,682 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं।

गुप्ता ने बताया कि होम वोटिंग की सुविधा विकल्प के रूप में है। लोकसभा चुनाव के लिए होम वोटिंग की सुविधा, ऐसे मतदाताओं को मिलती है, जो 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हों या 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता श्रेणी के विशेष योग्यजन हों। बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को इसके संबंध में जानकारी दी गई। इस सुविधा का चयन करने के लिए पात्र मतदाताओं ने फॉर्म 12-डी भरकर बीएलओ को दिया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि होम वोटिंग के तहत प्रथम चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 5 अप्रैल से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और 14 अप्रैल तक चलेगी। किसी कारण से मतदाता के होम वोटिंग के लिए अनुपस्थित या वंचित रह जाने पर दूसरा चरण 15 से 16 अप्रैल के बीच होगा। होम वोटिंग के लिए 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में रिटर्निंग

■ **प्रथम चरण के लिये 36 हजार से अधिक फॉर्म स्वीकृत, मतदान आज से, द्वितीय चरण के लिये 40 हजार से अधिक पंजीकरण, मतदान 14 अप्रैल से**

ऑफिसर द्वारा 36,558 पात्र मतदाताओं के फॉर्म स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 27,524 वरिष्ठ नागरिक और 9,306 दिव्यांग शामिल हैं। निर्वाचक अधिकारी द्वारा होम वोटिंग का विकल्प चयन करने वाले मतदाताओं की सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। साथ ही, होम वोटिंग के लिए विशेष मतदान दल गठित कर उनके प्रशिक्षण की सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ये विशेष दल राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों की मौजूदगी में पंजीकृत मतदाताओं के घर पहुंचकर पोस्टल बलेट के जरिए मतदान करवाएंगे।

गुप्ता ने बताया कि दूसरे चरण में मतदान वाले 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में होम वोटिंग के लिए पंजीकरण का कार्य पूरा हो गया है। इन क्षेत्रों में कुल 40 हजार से अधिक पात्र मतदाताओं ने पंजीकरण कराया है। इसमें 31,511 वरिष्ठ नागरिक और

8,567 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। निर्वाचक अधिकारी होम वोटिंग का विकल्प चयन करने वाले मतदाताओं की सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को 8 अप्रैल तक उपलब्ध कराएंगे। विशेष मतदान दल गठित कर उनके प्रशिक्षण की सभी प्रक्रिया 13 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। होम वोटिंग के लिए मतदान प्रक्रिया 14 अप्रैल से शुरू होकर 21 अप्रैल तक चलेगी। किसी कारण से मतदाता के होम वोटिंग के लिए अनुपस्थित या वंचित रह जाने पर दूसरा दौर 22 से 23 अप्रैल के बीच होगा।

गुप्ता ने बताया कि होम वोटिंग के प्रति लोकसभा आम चुनाव में राज्य विधानसभा चुनाव-2023 से भी ज्यादा उत्साह है। विधानसभा चुनाव के दौरान 61,628 पात्र मतदाताओं ने पंजीकरण कराया था। इस बार यह आंकड़ा 76 हजार के पार पहुंच गया है। होम वोटिंग के लिए राज्य विधानसभा चुनाव-2023 में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता पात्र थे। लोकसभा चुनाव के दौरान इसे बढ़ाकर 85 वर्ष किया गया है। पात्र मतदाताओं की संख्या पहले ही होम मुकाबले कम होने के बावजूद भी होम वोटिंग के लिए अधिक रूझान निर्वाचन विभाग द्वारा 'कोई मतदाता न छूटे' के उद्देश्य के साथ किए गए प्रयासों का ही परिणाम है।

## आपातकालीन उपचार कर यात्री की जान बचाई

कोटा, (निसं)। रेलकर्मों अपनी ड्यूटी के साथ कई सामाजिक मदद, यात्री की सहायता, खोये सामान को वापस दिलाने जैसे सराहनीय कार्य कर रेलवे की सकारात्मक छवि बनाये रखने महवर्ण्य भूमिका निभाते हैं।

इसी प्रकार के एक यात्री की आपातकालीन उपचार कर जान बचाने का सराहनीय कार्य करने की घटना सामने आयी जिसमें कोटा रेलवे चिकित्सालय में वरिष्ठ नर्सिंग अधीक्षक पदस्थ राकेश कुमार वर्मा एवं विमल कुमार मोना नाम के रेलकर्मियों गोवा से कोटा वापसी गाड़ी संख्या 12217 को च्वीवली-चंडीगढ़ केरला सम्पर्क त्रांति एक्सप्रेस के बी-3 कोच में अपनी निजी यात्रा के दौरान अपने

■ **कोटा के चिकित्सा रेलकर्मियों ने अपना परिचय देकर मानवता रूपी सेवा भाव से यात्री का उपचार किया**

बगल के कोच बी-4 में एक यात्री को अपनी बहन के साथ यात्रा के दौरान रत्नागिरी से पनवेल के बीच असहनीय पेट दर्द से तकलीफ में था एवं यूरिन पास करने में समस्या आ रही थी।

ट्रेन में सॉम ड्यूटी टीटीई से मदद की गुहार करने पर पनवेल में रेलवे डाक्टर द्वारा उपचार हेतु आने का बताया गया लेकिन पनवेल आने में लगभग 2

घंटे बाद ट्रेन पहुंचने का समय था इस बीच बी-3 में यात्रा कर रहे कोटा के चिकित्सा रेलकर्मियों ने अपना परिचय देकर मानवता रूपी सेवा भाव से उस यात्री का उपचार किया और यात्री को पेट दर्द से राहत मिला। समय पर उपचार न मिलने से यात्री के साथ कोई अनहोनी हो सकती थी।

इस प्रकार के सराहनीय कार्य को आमजनता से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने पर रेलकर्मों का मनोबल बढ ता है। कोटा वापसी पर रेलवे मंडल चिकित्सालय की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा. सुपुर्णा सेन राय ने दोनों रेलकर्मों द्वारा किए गए मानवतापूर्ण कार्य की सराहना करते हुए सम्मानित किया।

## लॉकर में रखा 25 लाख के जेवर से भरा बैग गायब

### पीड़ित ने बैंक कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया

अजमेर, (कासं)। कोतवाली थाना क्षेत्र के पृथ्वीराज मार्ग स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से करीब 25 लाख रुपए के लॉकर से भरा बैग गायब होने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने थाने में बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से लॉकर से जेवरात चोरी होने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने बताया कि गुरुवार को सुबह वह अपनी मां के साथ बैंक गया और लॉकर खोला तो जेवरात गायब मिले, बैंक कर्मचारियों को बताया तो उन्होंने अभद्रता की। कोतवाली थाने में ही एक ओर मामला सामने आया,

जिसमें किशनगढ़ निवासी व्यक्ति ने व्यापारी करने के लिए सोना गिरवी रखाने और आरोपियों द्वारा धोखाधड़ी पूर्व जेवरात हड़पने का मुकदमा दर्ज कराया है। बैंक से 25 लाख के जेवरात गायब :- भगवानगंज नई बस्ती निवासी हिमांशु आसोजिया पुत्र अजीत सिंह ने कोतवाली थाने में शिकायत देते हुए बैंक कर्मचारियों के खिलाफ अभद्रता करने और लॉकर जेवरात गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। दर्ज रिपोर्ट में पीड़ित हिमांशु ने बताया कि उनका और मां का संयुक्त खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा पीआर मार्ग में है। घर से बैंक दूरी अधिक होने के चलते

लॉकर बंद करवाने के लिए 2 अप्रैल को बैंक गए थे। जहां बैंक में जरूरी कागजात पर हस्ताक्षर करवाए गए, इसके बाद बैंक कर्मचारी लॉकर ऑपरेट करवाने के ले गया और जैसे ही बैंक लॉकर खोला तो समस्त जेवरात जो लॉकर में रखे थे वो वहां नहीं मिले, बस दस्तावेज ही रहे हुए मिले। लॉकर में लगभग 20 लाख रुपए के जेवरात थे जो बैंक से ही चोरी हो गए। पीड़ित हिमांशु ने बताया कि मामले को लेकर जब बैंक मैनेजर से सम्पर्क कर जानकारी चाही तो उल्टा बैंक मैनेजर ने असमर्थता जाहिर करते हुए कहा कि लॉकर की हमारी जिम्मेदारी नहीं है और अपने

उत्तरदायित्व से बचने लगे। हमने बैंक के सीसीटीवी फुटेज मांगे तो बैंक कर्मचारियों ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया और हमें बैंक से बाहर निकाल दिया, जबकि हमें पूरा अंदेशा है कि बैंक के कर्मचारियों ने ही मिलीभगत कर जेवरात चोरी किए है। कोतवाली थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच एएसआई मनोमारा को सौंपी है। व्यापार के रखे जेवरात हड़पने का मामला :- व्यापार करने के लिए जेवरात वापस नहीं लाौटने पर पीड़ित ने गुरुवार को कोतवाली पुलिस थाने में धोखाधड़ी कर जेवरात हड़पने का मामला दर्ज करवाया है। कोतवाली

थाना पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार किशनगढ़ निवासी सुरेश सोनी थाने में लिखित शिकायत देते हुए धोखाधड़ी कर जेवरात हड़पने का मुकदमा दर्ज कराया है। दर्ज शिकायत में पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसने जेवरात चोरी की थी। बैंक के कर्मचारियों ने ही मिलीभगत कर जेवरात चोरी किए है। व्यापार करने के लिए अपने जेवरात रखे थे, जब दोनों से जेवरात वापस लाौटने के लिए कहा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। कई बार तकाजा करने के बाद भी जेवरात नहीं लाौटाए तो कोर्ट के माध्यम से पीड़ित सोनी ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।